रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, गुरुवार, जनवरी 6, 1972/पौष 16, 1893
No. 13] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1972/PAUSA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

*New Delhi, the 6th January* 1972

**G.S.R. 17(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the Notification No. 17-Customs dated the 21st January, 1971, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance).

[No. 12/F. No. 424/1/72-Cus-IV.]

J. DATTA, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

**सीमा शुल्क**

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

**सी०एस०आर०** 17(अ)—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना स० 17-सीमा शुल्क दिनाक 21 जनवरी 1971, को विखण्डित करती है ।

[सं० 12-एफ० सं० 424/1/72-सी०शु० 4]

ज्योतिर्मय दत्त, उपसचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972